न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 56 / 2023

1 सुभाष पुत्र फुलाराम।
2 बजरंगलाल पुत्र फुलाराम।
3 धर्मपाल पुत्र फुलाराम।
4 जगदेव पुत्र फुलाराम।
5 मु. भगवानी पुत्री फुलाराम।
6 मु. सन्तोष पुत्री फुलाराम।
7 महावीर सिंह पुत्र झाबरमल।
8 भींवाराम पुत्र झाबरमल।
9 मु. चन्द्रावली पुत्री झाबरमल।
10 मु. सरस्वती पुत्री झाबरमल।
11 मु. सरोज पुत्री झाबरमल।
12 सुभाष कुमार पुत्र नेमीचन्द।
13 श्रीमती लिछमा देवी पत्नी नेमीचन्द।
14 मु. विनोद पुत्री नेमीचन्द।
15 मु. सरिता पुत्री नेमीचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 गुलझारीलाल पुत्र नारानाराम।
2 धुकल सिंह पुत्र नारानाराम।
3 पन्नेसिंह पुत्र नारानाराम।
4 मूलचन्द पुत्र नारानाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

5 राजेन्द्र पुत्र फुलाराम।
6 परमेश्वर पुत्र फुलाराम।
7 संदीप पुत्र फुलाराम समस्त जाति जाट निवासीगण जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
8 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
9 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
10 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
11 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
12 केनरा बैंक शाखा नवलगढ़ जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 13.04.2023 न्यायालय
सहायक कलेक्टर नवलगढ़ मुकदमा नम्बर 31/2023
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मीना कुमारी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30/10/23

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 31/2023 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर ग्राम जयसिंहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 57,291/62,60,289/62 व 288/62 के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने आवेदन प्रस्तुत होने पर एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा उक्त विवादित भूमि के सन्दर्भ में पारित कर दी। किन्तु इस आदेश में यह भी अंकित कर दिया कि उक्त आदेश चालू प्रचलित/ राजस्व रिकार्ड में कटान शुद्वा रास्तो पर प्रभावी नही होगा। इस प्रचलित/ राजस्व रिकार्ड में कटान शुद्वा रास्तो पर प्रभावी नही होगा आदेश के विरूद्व प्रार्थी ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर इस अंकन को विलोपित करने का अनुतोष चाहा। इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय की पालना स्थगित कर उक्त सम्पूर्ण भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये उभयपक्ष को पाबन्द करने की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है। इस आदेश के विरूद्व रेस्पोडेंट मूलचन्द ने माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 3186/2023 प्रस्तुत की माननीय मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.07.2023 से निगरानीकर्ता की निगरानी में इस न्यायालय को दोनो पक्षो को सुनकर एक माह में निर्णय पारित करने के निर्देश पारित किये है। इस पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आवेदकगण/अपीलांट्स की भूमि खसरा नम्बर 57,291/62,60,289/62 व 288/62 ग्राम जयसिंहपुरा की भूमि में से कोई रास्ता कटान का अथवा प्रचलन का मौजूद नही है। परन्तु रेस्पोडेंट ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अविधिक रूप से डोटेड लाईन डलवा ली जिनका कानून में कोई महत्व नही

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

है तथा आवेदकगण/अपीलांट्स के अधिकारों के विरूद्व शून्य है। परन्तु डोटेड लाईन नक्शा में दर्शित होने से और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में प्रचलन/कटाण का रास्ता पर उक्त आदेश लागु नही होगा के वाक्य को जोड़े जाने से रेस्पोडेंट राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जबरदस्ती आवेदकगण की भूमि में से रास्ता निकालना चाहते है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान में से रास्ते बाबत अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र माननीय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ के यहां विचाराधीन है जिससे यह साबित होता है कि मौके पर ना तो कोई प्रचलन का रास्ता है एव ना ही कोई कटाण का रास्ता है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.04.2023 में अन्तरिम यथास्थिति आदेश के साथ परन्तुक प्रचलन/कटाण के रास्तों पर लागु नही होगा का कथन जोड़कर आदेश को अस्पष्ट कर दिया। माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 409 में प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार अन्तरिम एकपक्षीय आदेश के विरूद्व धारा 225 के अन्तर्गत अपील पोषणीय है। अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जांच रिपोर्टो में विरोधाभाषी कथन है दिनांक 20.03.2023 की मौका रिपोर्ट एवं 24.04.2023 की मौका रिपोर्ट में भिन्न–भिन्न कथन किये गये है। विचारण न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त धारा 212 का अन्तिम निस्तारण किया जाना शेष है। इससे पूर्व विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश दिया जाना न्याय संगत है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनो के समर्थन में आर.आर.टी. 2014(1) पेज 409, आर.एल.डब्ल्यू 2000(3) पेज 488, आर.एल.डब्ल्यू 2001(1) पेज 84 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि में रास्ते के लिये धारा 251ए का आवेदन अन्य पक्षकार ने लगाया है 1985 में भू–प्रबन्ध ने पगडण्डी होना माना है। इस भू–प्रबन्ध के आदेश दिनांक 13.06.1985 की अपील माननीय जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा दिनांक 17.10.1989 को खारिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
अपील अधिकारी

की जा चुकी है। माननीय राजस्व मण्डल ने निगरानी में विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2023 को यथावत रखा है। स्थगन की आड़ में रास्ते को बन्द नही किया जा सकता है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2023(2) पेज 914, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 548, आर.आर.टी. 2015(2) पेज 132 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का अन्तरिम स्थगन जारी किया। इस आदेश में यह भी अंकन कर दिया कि यह स्थगन आदेश प्रचलन/कटानी रास्तो पर प्रभावी नही होगा। इस अंकन से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य विवाद डोटेड लाईन के विधि सम्मत होने अथवा नही होने तथा मौके पर रास्ता (पगडण्डी) होने अथवा नही होने को लेकर है। प्रार्थी अपीलांट का धारा 212 का आवेदन विचारण न्यायालय में लम्बित है। इसका निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर किया जाना शेष है वर्तमान में रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 24.04.2023 से प्रथम दृष्टया मौके पर रास्ता बंद पाया जाना, अवरोध होना प्रकट होता है। इस रिपोर्ट में डोटेड रास्ता बंद नही करने के लिये पाबन्द किये जाने का भी अंकन है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। अत इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में धारा 212 के अन्तिम निस्तारण तक उभयपक्ष को विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विचारण न्यायालय उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 पर उभयपक्ष को सुनकर आगामी एक माह में अन्तिम निस्तारण करना सुनिश्चित करें तब तक उभयपक्ष विवादित भूमि खसरा नम्बर 57,291/62,60,289/62,288/62 वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.12.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर